P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 **SHRINKHALA :** VOL-II * ISSUE-II*October-2014
E: ISSN NO.: 2349 – 980X

पुरोलेखिय अध्ययन में मारवाढ़ की 18वीं सदी की कर व्यवस्था

ताराचन्द्र बैरवा
व्याख्याता,
इतिहास विभाग,
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
दौसा।

सारांश

राज्य की आय के प्रमुख स्त्रोत, वाणिज्यिक एवं गैर वाणिज्यिक कर है । 18वीं सर्दी मे प्रमुख कर राहादरी, मापा, पेसार और नेकाल, चौथाई, थड़ीभाड़ा, घाणीपाटा आदि है। उपरोक्त कर व्यापारियों, किसानों एवं शिल्पकारों से वसूल किए जाते थे।

मुख्य शब्द : आय के प्रमुख स्त्रोत, वाणिज्यिक कर, गैर वाणिज्यिक कर।

प्रस्तावना

राज्य की आय के प्रमुख स्त्रोत वे अनेक कर होते थे जो समय–समय पर व्यापारियों, किसानों एवं शिल्पकारों से वसूल किए जाते थे। इन करों का मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है–

1 वाणिज्यिक कर
2 गैर वाणिज्यिक कर

प्राचीनकाल से ही हमें इस प्रकार के करों के सम्बंध में जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उपर्युक्त दोनों ही प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। 18वीं सदी के दौरान मारवाड़ राज्य में भी राज्य के आय के प्रमुख साधन ये निकासु एवम् पेसार तथा घाणी पाटा प्रमख थे जिनका विस्तार ये उल्लेख हम नीचे करेंगे।

राहादरी

राहादरी वस्तुतः एक प्रकार से सीमा शुल्क था। जब व्यापारी अपना माल लेकर किसी राज्य के क्षेत्र से गुजरते थे तो उनसे उस राज्य द्वारा राहादरी नामक कर वसूल किया जाता था। राज्य की सीमा में उसे गुजरने वाली पत्येक वस्तु पर राज्य की सीमा में स्थित प्रथम चौकी पर राहादरी ली जाती थी तथा उसे चौकी के अधिकारी द्वारा व्यापारी को एक पर्ची दी जाती थी जिसको दिखाने पर उस राज्य की शेष चौकियों से माल पुनः कर दिये बिना निकाल सकते थे। दूसरे राज्य की सीमा प्रवेश करने पर व्यापारी को पुनः राहादरी देकर दूसरे राज्य की सीमा में स्थित प्रथम चौकी के अधिकारी से पर्ची लेनी पड़ती थी।

सम्भवतया राहादरी कर राजस्थान के राजपूत शासकों का मुगलों के साथ सम्पर्क होने के बाद से ही यहां के विभिन्न राज्य में लागू किया गया। वस्तुतः राहादरी कर राज्य की आय का एक प्रमुख स्त्रोत था। सरकार द्वारा जागीरदारों एवं किसानों को जब वे अपनी कृषि उत्पादों की बिक्री के लिये समीपस्थ कस्बों के बाजारों में ले जाते थे तो उन्हें राहादरी में छूट प्रदान की जाती थी।

1. उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि आकाल या सूखा पड़ने पर व्यापारियों द्वारा जो अनाज बाहर ले जाता था उस पर राज्य द्वारा राहादरी में छूट दी जाती थी।
2. सरकार द्वारा कभी–कभी स्थानीय एवं बाहर से आकर व्यापार करने वाले व्यापारियों को भी राहादरी में छूट प्रदान की जाती थी। खास रूक्का परिवाना बही नं.1 में हमें उल्लेखनीय मिलता है कि व्यास नंदराम, सालगराम, हनुवन्तदास आदि व्यापारियों को जो जोधपुर में व्यापार करते थे, दरबार की तरफ से राहादरी में आयी छूट प्रदान की गयी थी।
3. इसी बही में उल्लेख मिलता है कि मुल्तानी ब्राह्मण व्यापारी, केशोराय, खुशालचन्द एवं चैनराय को जो जोधपुर में व्यापार करते थे, राहादरी में आधी छूट दी जाती थी।
4. इसी बही में उल्लेख मिलता है कि बहावलपुर के मुहणोंत जीवणदास, आसकरण एवं कुशालचन्द जोधपुर आसकरण एवं कुशालचन्द जोधपुर मे व्यापार करते थे उन्हें राहादरी में एक चौथाई छूट प्रदान की जाती थी।

5. सरकार द्वारा कभी–कभी राहादरी में पूरी छूट भी प्रदान कर दी जाती थी। खास रूक्का परिवाना बही नं. में उल्लेख है कि जोधपुर है कि जोधपुर के सेठ मोहन भूथरा को राहादरी में पूरी छूट प्राप्त थी।
6. सनद परवाना बही नं. 25 में उल्लेख मिलता है कि कोटा राज्य के कामदार जोधपुर से 22 बैलों की जोड़ी खरीदकर ले गये, उन्हें राहादरी में पूरी छूट प्रदान की जाती थी।
7. सनद इजारेदार सरकार के घोड़ों और ऊटों के लिये किशनगढ़ से चारा, मोठ, मूंग और 20 मन चीनी लेकर गए तो उन्हें राहादरी पूरी छूट दी गई थी।
8. सनद परवाना बही नं. 9 में उल्लेख मिलता है कि बीकानेर का पांचूराम 150 मन धान नागौर से ले गया, दरबार की तरफ से उसे राहादरी में पूरी छूट हुई थी।
9. इसी प्रकार सनद परवाना बही नं. 5 से हमें जानकारी मिलती है कि उदयपुर के अली मोहम्मद और फतह महमूद, जोधपुर से 50 घोड़ खरीदकर लाये थे, उन्हें राहादरी में पूरी छूट दी गयी थी।
10. नीचे दी गई तालिका से राहादरी की दर का पता चलता है।

परिवहन	चौकी	दर
नमक की एक पोठ	नावा	12 आना
एम घोड़ा माल	रूपनगर	1रू.12आना
तीन ऊंट माल	नागौर	12 रू.

सनद परवाजा बही नं. 21 में उल्लेख है कि जब रामदेवरा से घोड़े बिक्री के लिये दक्खन (हैदराबाद) ले जाए तो उन पर राज्य में प्रति घोड़ा इस प्रकार राहादरी वसूल की गई। 12.

1	जोधपुर	–	12 आना
2	मेड़ता	–	4 रूपया
3	तातोंटी	–	13 आना

निम्न तालिका से स्पष्ट होता है कि कस्बा जोधपुर में राहादरी के रूप में प्रतिवर्ष कितनी आय हुई थी। 13.

क्रम सं.	विक्रम सम्वत	कर की राशि
1	1808 (1751 ईस्वी)	4,000रू.
2	1821 (1764 ईस्वी)	4,511 रू.
3	1832 (1832 ईस्वी)	4,590 रू.
4	1833 (1776 ईस्वी)	5,107 रू.
5	1835 (1808 ईस्वी)	3,524 रू.
6	1865 (1808 ईस्वी).	3,502 रू.

नीचे दी गई तालिका से परगना नागौर की विभिन्न वर्षों में प्राप्त हुई राहादरी की राशि इस प्रकार थी– 14.

क्रम सं.	विक्रम सम्वत्	कर की राशि
1	1825(1768 ईस्वी)	42,525 रू.
2	1832(1775 ईस्वी)	21,980 रू.
3	1840(1783 ईस्वी)	42,128 रू.
4	1850(1793 ईस्वी)	42,728 रू.
5	1860(1803 ईस्वी)	42,029 रू.

सामान्यतयाः राहादरी वसूल करने का कोई कार्य 'महकमा माल' नामक विभाग के कर्मचारियों द्वारा वसूल किया जाता था। उपलब्ध विवरणों से जानकारी मिलती है कि राहादरी वसूल करने का कार्य कभी–कभी–साहूकारों को इजारे पर भी दे दिया जाता था। उदाहरण के लिये सनद परवाना बही नं. 17 में हमें उल्लेख मिलता है कि जोधपुर के फतेहचंद एवं खुशालचंद को परगना पाली की राहादरी साल भर के लिए 35, 101 रू. में दी गई थी। 15. इसी बही उल्लेख मिलता है कि जोधपुर के फतेचंद, खुशालचंद को मेड़ता परगना की राहादरी साल भर के लिए 28,401 रू. में इजारे पर दी गई थी। 16. सनद परवाना बही नं. 21 में उल्लेख मिलता है कि वि.सं. 1835 में अचलदास मलूकचंद, को परगना सोजत की राहादरी 13,501 रू. में 14 महिन के लिये इजारे पर दी गई थी। 17. इसी तरह सनद परवाना बही नं. 30 से जानकारी प्राप्त होता है कि जोधपुर के मोदी हरनाथ को नागौर की राहादरी एक साल के लिये 50,001 रू. में दी गई थी। 18.

<u>मापा</u>

मापा हाट, मेलों अथवा विभिन्न कस्बों के बाजारों में वस्तुओं की बिक्री एवं खरीद दोनों पर वसूल किया जाता था। यह खरीददार एवं विक्रेता दोनों पर लगता था। मापा कृषकों द्वारा खेती के लिए खरीदने गए बीज पर नहीं लगता था। ईजारेदारों एवं जागीरदारों या भू–राजस्व एवं जागीरदारों या भू–राजस्व के रूप में वसूल किये गये अनाज को बेचने पर भी मापा नहीं लगता था। 19. विं सं. 1715 के दौरान हमें विभिन्न वस्तुओं के क्रय–विक्रय की दरें इस प्रकार मिलती हैं– 20.

वस्तु का नाम	मापी की दर
रशमी एवं सूती कपड़ा (प्रति मन)	8 दुगानी
रेशम, कस्तूरी, कपूर (प्रति मन)	1.50 फीरोजी
लाम्बा, कांसा, पीतल, जसद, कथीर,	8 दुगानी
मीर्ची, हींग एवं तेल (प्रति मन), सूत, शक्कर सूंठ, पीपलाभूल एवं घी (प्रति मन)	6.50 दुगानी
गुड़, तेल, लोहा, लाख (प्रति मन)	5.50 दुगानी
जीरा, अजवाइन, हल्दी (प्रति मन)	3.50 दुगानी
मेथी, राई, सरसों, अलसी, तिल,	5.60 दुगानी
मूंज, साजी (प्रति मन)	5.60 दुगानी

नागौर हुकुमत जमाबन्दी बही नं. 1279 21. (वि. सं. 1808) में हमें विभिन्न पशुओं की बिक्री पर ली जाने वाली 'मापा' की दर इस प्रकार मिलती है–

पशु	कर की राशि
13 सांड (बैल)	1रू.
1 ऊंट	1 रू.
2 ऊंट	2 रू.

दरीबे पचबदरा री कचेडो री जमाखर्च बही नं. 1416 22. में हमें नमक की बिक्री पर वसूल किए गए मापा की दर इस प्रकार मिलती है–

5 मण नमक	–	1 रू.
2 गाड़ा नमक	–	3 रू., 8 आना

3 गाड़ा नमक	–	6 रू., 10 आना
8 गाड़ा नमक	–	13 रू., 1 आना

बही खाते खजाने री बही में उल्लेख मिलता है कि विं.सं. 1822 में परगना नागौर में स्थित मूंडवा कस्बों में जो मेला लगा था, उसमें मापा कर के रूप में सरकार को 224 रूपये प्राप्त हुए थे। 23. परगना सांभर री कचौड़ी री जमाबन्दी बही नं. 1676 में उल्लेख है कि सांभर कस्बे में राज्य को विं. सं. 1877 में 641 रू.12 आना, 12 पैसे मापा कर रूप में प्राप्त हुए थे। 24.

इसी बही में उल्लेख है कि परबतसर में तेजाजी का मेला लगता था, इसमें –मापाकर' के रूप में 575 रू., 4 आना, 12 टके पर प्राप्त हुए थे। 25. राहादरी कर की भांति मापा में भी छूट कर प्रावधान था। सनद परवाना बही नं. 8 में हमें उल्लेख मिलता है कि सोजत के मूलचन्द की बेटी प्यारों की विवाह पर पाली से जो जिनस खरीदकर लाई गई उस पर मापा पूरी छूट प्रदान की गई थी। 26. इसी तरह खास रूक्का परवाना बही ंन. 1 में उल्लेख मिलता है कि पुराहित सूरजमल के बेटे–पोते जोधपुर में व्यापार करते थे उन्हें दरबार की तरफ से मापा में पूरी छूट प्रदान की गई थी।27

पेसार और नेकात

जब किसी कस्बे में माल विक्रय के लिये बाहर ले जाया जाता था या दूसरे कस्बों के गांवों से किसी कस्बे में लाया जाता था तो उस पर सरकार द्वारा जो कर लिए जाते थे उन्हें क्रमशः नेकाल और पेसार के नाम से जाना जाता था।

नेकाल और पेसार की दरें भिन्न–भिन्न वस्तुओं पर अलग–अलग होती थी। इन करों से राज्य को अच्छी आय होती थी। उदाहरण के लिए परगना सांभर में वि.सं. 1843 में पेसार और नेकाल के रूप में सरकार की क्रमशः 2468 रूपये 12 आना और 1893 रूपये प्राप्त हुए थे। 28. कुछ व्यापारियों को राज्य द्वारा इन करों में छट् भी दे दी जाती थी।

खास रूक्का परवाना बही नं. 1 में हमें उल्लेख मिलता है कि डीग के शाह राधाकिशन और कोटा के लक्ष्मणदास नंदलाल को अन्य करों के लिए कुछ निश्चित वस्तुएं कस्बे से बाहर ले जाया जाती थी तो उन पर भी नेकाल कर में छूट प्रदान की जाती थी। उदाहरण के लिए जब गुड़, घी, और शक्कर विवाह के लिये कस्बों से खरीदकर किसी व्यक्ति के द्वारा अपने गांव लायी जाती थी तो उन नेकाल कर नहीं लिया जाता था। 30. इसी तरह जब किसी दूसरे राज्य के राजा के लिए जो माल खरीदा जाता था उस पर भी नेकाल नहीं लिया जाता था। 31.

कयाली

यह कर व्यापारियों से वस्तुओं के तौल के समय वसूल किया जाता था। प्रत्येक जगात चौकी, चबुतरा कौतवाली और कस्बों के बाजारों में सरकार द्वारा 'कयाल' नामक कर्मचारी की नियुक्ति की जाती थी, जो माल को तोलने को कार्य करता था।

इसके लिए राज्य द्वारा माल के मालिक से एक कर लिया जाता था जिसे कयाली कहा जाता थां अन्य वाणिज्यिक करों की भांति कयाली भी वसूल करने का कार्य ईजारे पर दिये जाने वाले उल्लेख में समकालीन बहियों में मिलता है। उदाहरण के लिए सनद परवाना बही नं. 25 में उल्लेख मिलता है कि 'कयाल' अमरा का जोधपुर कस्बे की मण्डी की कयाली 111 रूपये में ईजारे पर दी गई थी। 32.

अन्य करों की भांति कयाली में भी व्यापारियों को सरकार द्वारा छूट प्रदान की जाती थी। खास रूक्का परवाना बही नं. 1 में उल्लेख मिलता है कि शाह राधिकिशन और रूपचन्द जोधपुर राज्य की हद में व्यापार करते थे, उन्हें कयाली में आधी छूट प्रदान की गयी थी। 33. इसी बही में उल्लेख है कि बीकानेर का मुहणोंत कल्याण दरबार की हद में व्यापार करता था उसे भी कयाली में आधी छूट प्रदान की गई थी। 34. इसी बही में उल्लेख मिलता है कि पुरोहित सूरजमल के बेटे–पोते जोधपुर में व्यापार करते थे उन्हें भी दरबार की तरफ से कयाली में आधी छूट प्रदान की गई थी। 35. समकालीन अभिलेनीय स्त्रोंतों से विभिन्न कस्बों में भिन्न–भिन्न वर्षों में वसूल की गयी कयाली की राशि का भी उल्लेख मिलता है।

बही खास खजाने से री बही न. 5 में उल्लेख मिलता है कि वि.सं. 1822 में नागौर परगाने के अन्तर्गत 'मूंडवा' के पशु मेले में 8 रू. कयाली के रूप में प्राप्त हुए सं. 1820 में पंचपदरा की नमक की खान में राज्य को 1913 रू. 14 आना कयाली के रूप में प्राप्त हुए थे। 37.

चौथाई

चौथाई नामक कर भी एक महत्वापूर्ण व्यापारी कर था। मारवाढ़ के प्रायः परगनों में यह एक चूड़ीगरों से 'हाथी दाँत' की चूड़ियों के निर्माण करने पर लिया जाता था। 'चूड़िगरों' से प्राप्त चौथाई कर सरकार की आय का एक महत्वपूर्ण साधन था। हमें समकालीन अभिलेखीय साक्ष्यों 38. में चाथाई की दरें इस प्रकार मिलती है–

1	एक जोड़ी हाथी दाँत की चूड़िया	–	2 आना
2	एक मुठिया हाथी दाँत का	–	1 आना
3	एक जोड़ा छोटी चूड़िया	–	1 आना
4	एक छावन्द	–	4 आना

कुछ बहियों में हमें चूड़ीगरों से किन–किन वर्षों में कितना चौथाई कर लिया गया इसकी जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। परगना पाली में 39. वि.सं. 1875 में चूड़ीगरों से निम्नलिखित राशि चौथाई कर के रूप में प्राप्त हुई थी–

क.सं.	चूड़ीगरोंके नाम	चौथाई के रूप में वसूल की गई राशि		
		रूपया	आना	पैसा
1	सत्तार ईमाम बगस	18	12	0
2	शाहबाज भूरा	26	12	2
3	महमूद	52	18	2
4	भूरजी ईमाम बगस	30	8	0
5	महमूद	24	0	2

6	सैय्यद अली	28	12	2

वि.सं. 1831 में जोधपुर कस्बे के चूड़ीगरों से राज्य को चौथाई के रूप में जो राशि प्राप्त हुई, उसकी जानकारी हमें जोधपुर कोतवाली चौतरा जमाबन्दी बही नं. 887 40. से प्राप्त होती है जो इस प्रकार है–

क्र.सं.	चूड़ीगरोंके नाम	चौथाई के रूप में वसूल की गई राशि		
		रूपया	आना	पैसा
1	अल्लाबगस	38	12	2
2	भूरे खां	18	0	2
3	मोहम्मद खान	59	8	0
4	जीवण आसकरण	39	4	0
5	जान मोहम्मद	24	0	0
6	जानम	5	0	1
7	गफूर	10	0	0

थाड़ी भाड़ा

यह कर उन छोटे व्यापारियों से वसूल किया जाता था, जो हाट और मेंलों में अनी दुकान लगाते थे। जोधपुर कोतवाली चबूतरा जमाबन्दी बही नं. 884 को उल्लेख मिलता है कि जोधपुर जो हाट लगता था उसमें वीरछोड़ जी ने 8 रू. थड़ी भाड़ा के चुकाए थे। 41. इसी तरह जोधपुर कोतवाली चबूतरा जमाबन्दी बही नं. 887 42. में उल्लेख मिलता है कि जोधपुर कस्बे में स्थित जालौरी गेट पर लगने वाले हाट से वि.सं. 1831 में एक साल में सरकार को हाट में अपनी दुकान लगाने वाले कुछ व्यापारियों एवं दत्तकरो निम्नलिखित राशि थड़ी भाड़ा के रूप में प्राप्त हुई थी–

1	जेठा अग्रवाल	5	6 रू.
2	सौदागर बगसूं	–	1 रू., 8 आना
3	प्रिया (पारिया)	–	3 रू.
4	रंगरेज सेरा	–	2 रू., 4 आना
5	मोची तुलसा		1 रू.,8 आना

घाणी पाटा

18वीं सदी के दौरान मारवाढ़ में हमें 'घाणी भाटा' नामक कर के प्रचलन का भी उल्लेख मिलता है। यह कर तेलील नामक जाति के लोगो से वसेल किया जाता था। तेली या हाट से घाणियों के लिये जो पाटे खरीद कर लाते थे उस पर यह कर लगता था। 43. जैसा पिरगना पाली जमाखर्च री बही हाकम रे दफ्तर री नं. 1532 44. से हमें जानकारी मिलती है कि कस्बा पाली के कुछ तेलियों से वि.सं. 1875 में घाणी पाटा के नाम से निम्नलिखित राशि प्राप्त हुई

तेलियों के नाम			कर की राशि
1	केसर	–	2 रू., 2 आना
2	धन्ना देवजी	–	2 रू., 2 टका, 25 दाम
3	अणदा	–	2 रू., 2 टका, 25 दाम
4	जीवण	–	2 रू., 2 टका, 25 दाम
5	देवा	–	4 रू., 2 आना

जालौर कोतवाली चबूतरा जमाबन्दी बही नं. 760 45. में उल्लेख है कि घाणी पाटा के रूप में जालौर के तेलियों से निम्न राशि प्राप्त हुई–

तेलियों के नाम			कर की राशि
1	फता पदमा	–	12 आना
2	फतौ भीमा	–	1.6 दाम
3	मानसिंह छजारा	–	12 दाम
4	सुरताण	–	10 दाम

संदर्भ

1. सनद परवाना बही नं. 13, वि.सं. 1830 (1773) पृ0 58, सनद परवाना बही नं. 16,वि.सं. 1833 (1776 ई.) सनद परवाना बही नं. 21,पृ0 286, वि.सं. 1835 (1778 ई.),जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार बीकानेर।
2. सनद परवाना बही नं. 13, वि.सं. 1830 (1773) पृ0 58, सनद परवाना बही नं. 21, पृ0 286 विं.सं. 1835 (1778 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार बीकानेर।
3. खास रूक्का परवाना बही नं. 1, वि.सं. 1825 (1771 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार बीकानेर।
4. खास रूक्का परवाना बही नं. 1, पृ0 275 वि.सं. 1825 (1767 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार बीकानेर।
5. खास रूक्का परवाना बही नं. 1, पृ0 275 वि.सं. 1853 (1768 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार बीकानेर।
6. खास रूक्का परवाना बही नं. 1, वि.सं. 1824 (1767 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार बीकानेर।
7. सनद परवाना बही नं. 25, पृ0 470, वि.सं. 1838 (1781 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार बीकानेर।
8. सनद परवाना बही नं. 29, पृ0 5, वि.सं. 1840 (1783 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार बीकानेर।
9. सनद परवाना बही नं. 9, मिगसर सुदि 15 पृ0 8, वि. सं. 1825 (1768 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार बीकानेर।
10. खास रूक्का परवाना बही नं. 5, पृ0 9, वि.सं. 1823 (1766 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार बीकानेर।
11. सनद परवाना बही नं. 9, पृ0 214–215, वि.सं. 1826 (1769 ई.), सनद पनवाना बही नं. 29, पृ0 28–29, वि.सं. 1840 (1783 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार बीकानेर।
12. सनद परवाना बही नं. 21, पृ0 239, वि.सं. 1835 (1778 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार बीकानेर।
13. जोधपुर हुकूमत जमाबन्दी बही नं. 934, 1821 (1764 ई.) बही नं. 935 वि.सं. 1823 (1766 ई.) बही नं. 940 वि.सं. 1850 (1793 ई.) जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, जोधपुर।
14. नागौर कोतवाली चबूतरा जमाबन्दी बही नं. 1191, वि. सं. 1850 (1793 ई.) बही नं. 1283 वि.सं. 1825

(1768 ई.), नागौर कौंतवाली चौंतरा जमाबन्दी बही नं. 1188 वि.सं. 1840 (1783 ई.), परगना पचपदरा री कचैडी री जमाबन्दी 940 वि.सं. 1850 (1793 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, जोधपुर।

15. सनद परवाना बही नं. 17, पृ0 306, वि.सं. 1833 (1776 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार बीकानेर।
16. सनद परवाना बही नं. 17, पृ0 306, 7 वि.सं. 1833 (1776 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार बीकानेर।
17. सनद परवाना बही नं. 21, पृ0 205, वि.सं. 1835 (1778 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार बीकानेर।
18. सनद परवाना बही नं. 30 पृ0 334, वि.सं. 1831 (1774 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार बीकानेर।
19. सनद परवाना बही नं. 13,वि.सं 1830 (1773 ई.), पृ0 58, सनद परवाना बही नं. 16, वि.सं.1833 (1776 ई.), एवं सनद परवाना बही नं. 21, पृ0 286 वि.सं. 1835 (1778 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार बीकानेर।
20. मारवाड़ की परगना री विगत, भाग द्वितीय पृ0 म
21. मारवाड़ की परगना री विगत, भाग द्वितीय पृ0 मज 324 से 1261
22. नागौर हुकुमत जमाबन्दी बही नं. 1279, वि.सं. 1808, जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, जोधपुर।
23. पंचपदरा री कचेड़ी री जमाखर्च री जमाबन्दी, हाकमा रे री बही नं. 1416 वि.सं. 1865 (1808 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, जोधपुर।
24. बही खासे बजाने री बही वि.सं. 1822 (1765 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, जोधपुर।
25. परगना सांभर री कचेड़ी री जमाबन्दी बही नं. 1676 वि.सं. 1877 (1820 ई.), जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, जोधपुर।
26. पगरना सांभर री कचेड़ी री जमाबन्दी बही नं. 1676 वि.सं. 1877 (1820 ई.) जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, जोधपुर।
27. सनद परवाना बही नं. 8, पृ0 107, वि.सं. 1825 (1868 ई.) जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, बीकानेर।
28. खास रूक्का परवाना बही नं. 1, पृ0 226 वि.सं. 1824 (1767 ई.) जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, बीकानेर।
29. पगरना सांभर री जमाखर्च री जमाबन्दी बही नं. 1676 वि.सं. 1861 (1804 ई.) जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, जोधपुर।
30. खास रूक्का परवाना बही नं. 1, वि.सं. 1824, (1767 ई.) जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, बीकानेर।
31. कगोड़ा री बही नं. 1829 (1772 ई.) जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, बीकानेर।
32. सनद परवाना बही नं. 25, पृ0 218 वि.सं. 1838 (1781 ई.) जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, बीकानेर।
33. सनद परवाना बही नं. 25, पृ0 218 वि.सं. 1838 (1781 ई.) जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, बीकानेर।
34. खास रूक्का परवाना बही नं. 1, पृ0 226 वि.सं. 1824, (1767 ई.) जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, बीकानेर।
35. खास रूक्का परवाना बही नं. 1, पृ0 228 वि.सं. 1824, (1767 ई.) जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, बीकानेर।
36. खास रूक्का परवाना बही नं. 1, पृ0 226 वि.सं.1821 (1764 ई.) जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, बीकानेर।
37. बही खासा खजानारी (जोधपुर दफ्तर हजुरी) नं. 5 वि.सं. 1822, (1765 ई.) जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, बीकानेर।
38. दरीबा पंचपदरा कचेड़ी री जमाखर्च री जमाबन्दी बही नं. 1404 वि.सं. 1820 (1763 ई.) जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, जोधपुर।
39. जोधपुर कोतवाली चौंतरा जमाबन्दी बही नं. 883 वि. स. 1832 (1775 ई.) जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, जोधपुर।
40. परगना पाली जमा खर्च री हाकम रे दफ्तर री बही नं. 1529, वि.सं. 1875 (1888 ई.) जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, जोधपुर।
41. जोधपुर कोतवाली चौंतरा जमाबन्दी बही नं. 887 वि. सं. 1831 (1774 ई.) जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, जोधपुर।
42. जोधपुर कोतवाली चौंतरा जमाबन्दी बही नं. 884 वि. सं. 1824 (1767 ई.) जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, जोधपुर।
43. जोधपुर कोतवाली चौंतरा जमाबन्दी बही नं. 887 वि. सं. 1831 (1774 ई.) जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, जोधपुर।
44. परगना पाली जमा खर्च री हाकम री बही नं. 1529 वि.सं. 1875 (1818 ई.) जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, जोधपुर।वही।
45. जालोर कोतवाली चौंतरा जमाबन्दी बही नं. 760 वि. सं. 1880 (1826 ई.) जोधपुर रिकार्ड्स राजस्थान राज्य अभिखागार, जोधपुर।